

न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर एवं पदेन सू-अभिलेख निदेशक
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 राजेश शर्मा, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 14/2022

अपीलान्त

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. श्रवणकुमार पुत्र करनाराम
2. श्रीमती सुगनकंवर बेवा करनाराम
निवासी- ग्वालनाडा, तहसील
पचपदरा, जिला बाडमेर।

1. झूमरलाल पुत्र हरिराम
निवासी- ग्वालनाडा,
तहसील पचपदरा जिला
बाडमेर वगैराह कुल 22
रेस्पोडेन्ट्स पक्षकार

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 विरुद्ध
आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा, बाडमेर के द्वारा
मुकदमा संख्या 17/2019 झूमरलाल बनाम किशोरकुमार वगैराह में
दिनांक 24.12.2021 को पारित किया गया।

उपस्थिति:---

1. श्री रोशनलाल विश्‍नोई, अधिवक्ता अपीलान्त की ओर से।

निर्णय

दिनांक: 28 जनवरी, 2022

अपीलान्त ने यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा, बाडमेर के
द्वारा मुकदमा संख्या 17/2019 झूमरलाल बनाम किशोरकुमार वगैराह में दिनांक
24.12.2021 को पारित आदेश के विरुद्ध यह प्रथम अपील न्यायालय हाजा के समक्ष
दिनांक 24.01.2022 को प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर
अपीलान्त के अधिवक्ता को अपील पर सुना गया।

2. दौरान सुगवाई अपीलान्त के विद्वान अभिभाषक ने अपील में अंकित तथ्यों को
दोहराते हुए यह कथन किया कि रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के
समक्ष धारा 111. 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत यह प्रस्तुत किया कि
राजस्व ग्राम उनकी खातेदारी की खेत खसरा संख्या 485/21 रकबा 29.12 बीघा
भूमि ग्राम ग्वालनाडा तहसील पचपदरा में आई हुई है जिसके पडौस के खातेदरों के
मध्य आपस में सीमा विवाद होता रहता है सिद्ध विवाद को खत्म करने हेतु
पथरगढी किये जाने का आदेश दिया जावे एवं उक्त खसरा की रकबा भूमि का
सीमांकन किया जाकर अलग-अलग मुटाम कायम किये जावे।

28/11/2022

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

3. रेस्पो0 संख्या एक के उक्त प्रार्थना पत्र पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज करते हुए सम्बन्धित रेस्पोडेन्टस पक्षकार को नोटिस जारी किये गये, परन्तु उक्त नोटिस विधिवत रूप से तामील करवाये बिना ही प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या एक के आवेदन को दिनांक 24.12.2021 के अपीलाधीन आदेश के द्वारा स्वीकार करते हुए उपरोक्त वर्णित भूमि की पत्थरगढी का आदेश पारित कर दिया जिसकी वर्तमान अपीलार्थीगण को कोई सूचना नहीं दी और एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई जिस अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

4. अपीलान्त के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा धारा 111,128 राज0 भू राजस्व के तहत जो आलौच्य आदेश पारित किया है वो प्रावधानों के विपरित पारित किया गया है। उक्त आदेश न्यायिक नहीं होकर प्रशासनिक आदेश है और भूमि की तरमीम करवाये बिना ही पत्थरगढी/नेखमबन्दी का आदेश दिया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है जिससे भी उसके प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के अधिकारों का हनन होता है।

5. अपीलान्त के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि मौके पर रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा अपने खेत के चारों ओर पक्के पत्थर रोपकर तारबन्दी की हुई है जिसके कारण अब पत्थरगढी की कोई आवश्यकता नहीं है। रेस्पो0 संख्या एक के उक्त खसरान भूमि के पडौस में ही अपीलार्थी का खसरान भूमि का वह खातेदार है, तथा रेस्पो0 संख्या एक ने गलत रूप से तथ्य अंकित करते हुए अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष कार्यवाही सम्पादित करवाई है। यदि वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार का कब्जे को लेकर विवाद है तो उसे सक्षम न्यायालय में वाद दायर करके ही उसका निस्तारण किया जा सकता है। मौके पर तारबन्दी होने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य था। अतः अपीलान्त की अपील उपरोक्त आधारों पर स्वीकार की जावे एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.12.2021 को निरस्त किया जावे।

6. हमने अपीलान्त के अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं अपील में दर्शाये गये तथ्यों का अवलोकन किया। अपीलान्त ने अपनी अपील में अधिनस्थ




Sh
28/11/22
डिविजनल कमिश्नर

न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के विरुद्ध प्रमुखतः यह आपत्ति उठाई है कि रेस्पो0 संख्या एक की ओर से उनकी खातेदारी वाली ख0सं0 485/21 रकबा 29.12 बीघा भूमि हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश पारित किया गया है, उक्त खसरा के पडौस में ही अपीलार्थी की खसरान भूमि का वह खातेदार है, ऐसे में अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व उन्हें सुनवाई एवं पक्ष रखने का पूर्ण अवसर नहीं दिया गया है साथ ही मौके पर रेस्पो0 संख्या एक द्वारा अपने खेत के चारों ओर पक्के पत्थर रोपकर पक्की तारबन्दी की हुई है, ऐसे में अब पत्थरगढी की कोई आवश्यकता नहीं थी।

7. अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका की छायाप्रति के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रतीत नहीं होता है कि विप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट्स के नोटिस उन्हें विधि अनुसार तामील हुए अथवा नहीं हुए। न्यायालय की मंशा यह रहनी चाहिये कि प्रकरण का निस्तारण अवश्य हो, साथ ही न्याय होते हुए भी दिखना चाहिये। किसी पक्षकार के प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों का हनन भी नहीं हो। उपरोक्त सभी आब्जर्वेशनों के दृष्टिगत हमारी विनम्र राय में उक्त प्रकरण में अपीलार्थी की उपस्थिति में मौके की रिपोर्ट तथा अपीलार्थी को अपना सुनवाई/साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये जाने के उपरान्त यदि अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार से संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती हो तो पुनः नये सिरे से यथोचित आदेश पारित करने हेतु उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित रहेगा।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उपरोक्त आब्जर्वेशनों को मध्यनजर रखते हुए प्रकरण में अपीलार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं उन्हें सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार से संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती हो तो पुनः नये सिरे से 01 माह की अवधि में यथोचित आदेश पारित करें। निर्णय आज दिनांक 28 जनवरी, 2022 को सरे इजलास सुनाया गया।


28/11/2022
(डॉ० राजेश शर्मा)
डिप्टी जजल कमिश्नर,
जेजोघुपुर